उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या–1848/VII-A-1/2025–08(4)/2025
देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, 1957) की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली, 2025 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, विद्यमानता एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली, 2025 है।

(2) यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में समस्त खनिजों (मुख्य/उपखनिज) पर प्रभावी होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, 1957) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष, शासी निकाय" से उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के शासी निकाय के अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ग) "अध्यक्ष, कार्यकारी समिति" से उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(घ) "निदेशालय" से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(ङ) "निधि" से इस नियमावली के नियम 7 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है।

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत हैं।

(छ) "शासी निकाय" से न्यास के शासी निकाय अभिप्रेत है।

(ज) "कार्यकारी समिति" से न्यास की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है।

(झ) "सदस्य, शासी निकाय" से न्यास के शासी निकाय के सदस्य अभिप्रेत है।

(ञ) "सदस्य, कार्यकारी समिति" से न्यास की कार्यकारी समिति के सदस्य अभिप्रेत है।

(ट) "भूगर्भीय दृष्टिकोण से खनिज बाहुल्य क्षेत्र" से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य संस्थाओं द्वारा समय–समय पर चिन्हित खनिज बाहुल्य सम्भावित क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

(ठ) "न्यास" से इस नियमावली के नियम 3 में निर्दिष्ट उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास अभिप्रेत है।

(2) इस नियमावली में जो नियम प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं हो पाये हैं, किन्तु अधिनियम में पूर्व से ही परिभाषित है, के शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

न्यास की स्थापना

3. राज्य स्तर पर एक न्यास होगा जिसे उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के नाम से जाना जाएगा। न्यास का उद्देश्य राज्य में खनिज संसाधनों का योजनाबद्ध विकास तथा उनका अन्वेषण करना होगा।

शासी निकाय

4. (1) न्यास का शासी निकाय निम्नवत गठित होगा :–

1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य
5	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून	सदस्य
6	उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, देहरादून	सदस्य
7	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून	सदस्य
8	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, खनन	सदस्य सचिव

(2) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है, किन्तु ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे बैठक में प्रतिभाग करने पर सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

कार्यकारी समिति के सदस्य

5. (1) न्यास की कार्यकारी समिति निम्नवत गठित होगी:–

1	प्रमुख सचिव/सचिव, खनन	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य
3	तकनीकि समन्वय निदेशक, राज्य इकाई, उत्तराखण्ड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	सदस्य
4	क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के प्रतिनिधि	सदस्य
5	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून	सदस्य
6	अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून	सदस्य सचिव

(2) कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है, किन्तु ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे बैठक में प्रतिभाग करने पर सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क और अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

शासी निकाय और कार्यकारी समिति के कार्य

6. (1) शासी निकाय, न्यास के कामकाज के लिए व्यापक नीति/रूपरेखा निर्धारित करेगा और इसके कार्यों की समीक्षा करेगा।

(2) शासी निकाय, कार्यकारी समिति के परामर्शों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को मंजूरी देगा एवं शासी निकाय द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आहूत की जायेगी।

(3) कार्यकारी समिति न्यास का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी तथा नियमित अंतराल पर न्यास फंड के व्यय की निगरानी और समीक्षा भी करेगी।

(4) कार्यकारी समिति अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, समय–समय पर शासी निकाय द्वारा निर्धारित नीति/रूपरेखा और निर्देशों का पालन करेगी।

न्यास के अधीन निधि का गठन

7. (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, न्यास के अधीन एक निधि स्थापित करेगी जिसे उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास निधि कहा जाएगा, जिसका प्रबंधन न्यास की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) न्यास निधि को नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि प्राप्त होगी और कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित स्रोतों से अंशदान/सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

(3) निधि का उपयोग नियम 10 में निर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों के लिए किया जाएगा।

न्यास निधि में अंशदान

8. (1) न्यास को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, 1934) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक में अपने नाम से व्यक्तिगत जमा खाता/बैंक खाता खोलने एवं संचालित करने का अधिकार होगा।

(2) न्यास अपने व्यक्तिगत जमा खाते/बैंक खाते का विवरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्राप्तियों एवं भुगतानों के प्रयोजनार्थ सूचित करेगा।

(3) खनन पट्टाधारक, खदान लाइसेंसधारक तथा लघु खनिजों के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक, उन्हें आवंटित/अनुमति प्राप्त क्षेत्र से निकाले गए अथवा उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में न्यास निधि में अंशदान के रूप में उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के अनुसार रॉयल्टी के 05 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेंगे।

(4) उप–नियम (3) के अंतर्गत न्यास निधि के लिए भुगतान न्यास के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

(5) न्यास निधि की वसूली अतिरिक्त रूप से रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध के चयनित ठेकेदार/फर्म के माध्यम से की जा सकेगी तथा ऐसे मामले में न्यास निधि के अंशदान की मासिक किश्त सीधे न्यास निधि के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(6) संबंधित खान अधिकारी उपनियम (3), (4) एवं (5) के अंतर्गत राशि एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। संबंधित खान अधिकारी, न्यास के खाते में जमा धनराशि

से सम्बन्धित लेखा तैयार कर बनाए रखेंगे।

(7) अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड न्यास के द्वारा न्यास के व्यक्तिगत जमा खाते/बैंक खाते में स्थानांतरित की गई राशि का अद्यतन रिकॉर्ड तथा इस प्रकार एकत्रित रॉयल्टी का डाटाबेस बनाए रखेंगे तथा मासिक आधार पर न्यास को उक्त से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

कार्यालय एवं बैंक खाता

9. (1) न्यास का कार्यालय देहरादून में स्थित होगा।

(2) न्यास का बैंक खाता अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड तथा विभाग के वित्त अधिकारी अथवा कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकृत/नामित अधिकारी के माध्यम से खोला एवं संचालित किया जाएगा।

न्यास के उद्देश्य एवं काय

10. न्यास के उद्देश्य एवं कार्य निम्नानुसार होंगे:–

(1) राज्य में खनिज संसाधनों के नियोजित विकास एवं उनके अन्वेषण के लिए अल्पावधि, मध्यावधि एवं दीर्घावधि के लक्ष्य एवं योजनाएं तैयार करना।

(2) अन्वेषण का मास्टर प्लान तैयार करना तथा संसाधनों का क्षेत्रीय एवं विस्तृत अन्वेषण एवं परीक्षण करना।

(3) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् वन क्षेत्र में अन्वेषण करना।

(4) भूगर्भीय दृष्टिकोण से खनिज बाहुल्य क्षेत्रों का भूभौतिकीय, स्थलीय एवं हवाई सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिग तथा भू–रासायनिक सर्वेक्षण कराना।

(5) खनिज विकास, सतत खनन, उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों को अपनाना तथा खनिज निष्कर्षण हेतु धातु विज्ञान का अध्ययन एवं पैरवी करना।

(6) न्यास में कार्यरत विभागीय कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

(7) खनिज विश्लेषण और अयस्कों के परीक्षण, चट्टानों की संबद्ध अशुद्धियों की पहचान और विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के खनिज उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं आदि द्वारा प्रस्तुत खनिज नमूनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना ताकि अयस्कों, खनिजों की गुणवत्ता का रासायनिक व भौतिक परीक्षण और यंत्रवत् विश्लेषण द्वारा लाभ–हानि रहित आकलन किया जा सके।

(8) विभागीय प्रयोगशालाओं की स्थापना व उनको सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए कार्यवाही करना एवं अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त करने के बाद खनिज आधारित उत्पादों के निर्यातकों को परीक्षण और विश्लेषण के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करना।

(9) न्यास के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकारियों, खनन अभियन्ता, भूविज्ञानी या वैज्ञानिकों, तकनीकी व्यक्तियों, वित्तीय सलाहकारों, प्रबंधन सलाहकारों और अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्त करना।

(10) राज्य के लिए राज्य खनिज निर्देशिका, राज्य खनिज एटलस/भू–सूचना विज्ञान खनिज संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना तथा भूवैज्ञानिक और अन्य भू–वैज्ञानिक आंकड़ों को डिजिटल प्रारूप में सार्वजनिक डोमेन में रखना।

(11) सरकार को नवाचार शुरू करने और नई तकनीक अपनाने तथा तकनीकी/परामर्श सेवाएं प्रदान करने में सहायता करना।

(12) अर्हता प्राप्त योग्य व्यक्तियों के सृजन के लिए आवश्यकताओं का आंकलन करना, कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा कौशल विकास के लिए संस्थानों की पहचान करना।

(13) निम्न श्रेणी के खनिजों पर खनिज लाभकारीकरण और मूल्य संवर्धन अध्ययन करना।

(14) अन्वेषण परियोजनाओं के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु जीपीएस, जीएनएसएस, वाहन आदि उपलब्ध कराना।

(15) खनिज आधारित उद्योगों के निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय विकास केंद्र स्थापित करना और

(16) ऐसे अन्य उद्देश्य जो शासी निकाय राज्य में खनिज संसाधनों के विकास और दोहन के लिए तय कर सकता है।

(17) राज्य में ड्रोन, सर्वेक्षण, मैपिंग, डिजिटलीकरण, एम0डी0टी0एस0एस0 आदि जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खनन और संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना।

न्यास का प्रबंधन

11. (1) न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश शासी निकाय के अधीन होंगे।

(2) कार्यकारी समिति न्यास की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी।

(3) कार्यकारी समिति वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए योजना तैयार करेगी और उसे अंतिम रूप देगी।

समितियां

12. (1) कार्यकारी समिति न्यास के उद्देश्यों या ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए समितियों या उप–समितियों का गठन कर सकती है, जो कार्यकारी समिति द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

(2) उप–नियम (1) के तहत गठित समिति या उप–समिति इन नियमों के तहत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी और ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेगी, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

कार्यकारी समिति द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं

13. (1) कार्यकारी समिति शासी निकाय द्वारा अनुमोदित न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप पहचान की गई परियोजनाओं को लागू करेगी।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन में, कार्यकारी समिति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप अपनी प्रक्रिया तैयार

का कार्यान्वयन करेगी।

अन्वेषण परियोजनाओं का पर्यवेक्षण

14. (1) न्यास स्वयं अथवा किसी संस्था/इकाई को नियुक्त करके परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा।

(2) उप–नियम (1) के प्रयोजनों के लिए न्यास अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकता है।

शासी निकाय की बैठकें

15. (1) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(2) शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) शासी निकाय के सभी निर्णय या संकल्प सर्वसम्मति से लिए जाएंगे अथवा अपनाए जाएंगे।

(4) किसी असहमति अथवा असहमति की स्थिति में शासी निकाय के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(5) शासी निकाय की बैठकें भौतिक अथवा वर्चुअल माध्यम से होंगी।

कार्यकारी समिति की बैठकें

16. (1) कार्यकारी समिति प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) कार्यकारी समिति की बैठकें भौतिक या वर्चुअल माध्यम से होंगी।

शासी निकाय और कार्यकारी समिति की बैठक के लिए नोटिस और एजेंडा

17. (1) शासी निकाय के अध्यक्ष या सदस्य सचिव, शासी निकाय द्वारा अध्यक्ष की सहमति से सभी सदस्यों को कम से कम 07 दिन का नोटिस देकर शासी निकाय की बैठक आयोजित की जायेगी, परन्तु यह भी कि शासी निकाय के अध्यक्ष 07 दिन से कम नोटिस अवधि पर बैठक आहूत करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

(2) कार्यकारी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव अध्यक्ष की सहमति से सभी सदस्यों को कम से कम सात दिन का नोटिस देकर कार्यकारी समिति की बैठक आहूत करेगा, परन्तु यह भी कि कार्यकारी समिति का अध्यक्ष 07 दिन से कम नोटिस अवधि पर बैठक आहूत करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

(3) किसी भी बैठक के लिए नोटिस में बैठक का एजेंडा, पिछली बैठक के कार्यवृत्त और पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट शामिल होंगी।

बैठक हेतु गणपूर्ति

18. (1) शासी निकाय की किसी भी बैठक के लिए प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 05 होगी।

(2) कार्यकारी समिति की किसी भी बैठक के लिए प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 04 होगी।

कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव

19. (1) कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव :–

(i) कार्यकारी समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन न्यास का प्रशासन और प्रबंधन करेगा; और

की शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां

(ii) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कार्यकारी समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं या कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा सौंपी जा सकती हैं।

(2) कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव की उपनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित कर्तव्य और जिम्मेदारिया होंगी :–

(i) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट तैयार करना तथा उन्हें कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना तथा शासी निकाय को संस्तुति करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि न्यास द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं पर विचार करने से पहले या कार्यकारी समिति की सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रक्रिया, नियमों या निर्देशों के अनुसार उचित परिश्रम किया गया है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि न्यास की गतिविधियाँ, वार्षिक योजना, संबंधित वार्षिक बजट के अनुसार संचालित हो रही हैं; और

(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट को विगत वित्तीय वर्ष के जनवरी के अंत तक शासी निकाय को प्रस्तुत करना।

वार्षिक योजना

20. (1) कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले न्यास को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करेगा, न्यास द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित अल्पकालिक और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसे वार्षिक योजना के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें उस समय के दौरान शुरू की जाने वाली या पूर्ण की जाने वाली गतिविधियों का विवरण और परियोजनाओं के पूर्ण होने का अपेक्षित समय और ऐसी परियोजना की लागत शामिल होगी

(2) वार्षिक योजना में न्यास द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित सभी परियोजनाएं, कार्यक्रम, गतिविधियां शामिल होंगी तथा इसमें लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे।

वार्षिक बजट

21. कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना में शामिल गतिविधियों पर प्रस्तावित आय और व्यय का ब्यौरा शामिल होगा, जिसमें कानूनी, प्रशासनिक और अन्य लागतें तथा न्यास द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय के साथ–साथ इस संबंध में वित्त पोषण आवश्यकताओं का ब्यौरा शामिल होगा, जिसे वार्षिक बजट कहा जाएगा, जिसे शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन

22. (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से तीस दिन पहले शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे।

(2) कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव शासी निकाय के सदस्य सचिव से विधिवत अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट की प्रतियां प्राप्त करने के पश्चात उसे शासी निकाय के अनुमोदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर न्यास को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप–नियम (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यास शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट अनुमोदन के अधीन वार्षिक योजना में अनुमोदित न किए गए क्रियाकलापों के लिए व्यय कर सकता है, जिसे अगले वार्षिक बजट में शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

(4) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट को शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है, जिसे अगले वर्ष की योजना या बजट में शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट

23. (1) कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसी जानकारी होगी, जिसे कार्यकारी समिति उचित समझे।

(2) वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा पूरी की गई गतिविधियों और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा किए गए व्यय का विवरण शामिल होगा।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति शासी निकाय के अनुमोदन के बाद कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर न्यास को भेजी जाएगी।

वित्तीय वर्ष

24. (1) न्यास का लेखा या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(2) न्यास के संचालन का पहला वर्ष आंशिक वर्ष हो सकता है।

खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा

25. (1) न्यास के खातों को कार्यकारी समिति द्वारा तय किए गए रूप और तरीके से बनाए रखा जाएगा।

(2) न्यास निधि के खातों की लेखा परीक्षा ऐसे तरीके से की जायेगी, जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा तय किया गया हो।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के पश्चात, शासी निकाय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव